[22/9/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 463]

प्रतिवेदन

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला कटनी (म.प्र.)

विषयः— छपरा जलाशन के कैचमेंट एरिया में मार्बल माइन्स द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध मे संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावद्।

संदर्भः— कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कटनी का पत्र क्रमांक 1835/कार्य./2019–20 कटनी दिनांक 15.07.2019

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन मे निवेदन है कि ग्राम छपरा प0ह0नं0–58 रा0नि0मं0 स्लीमनाबाद तहसील बहोरीबंद जिला कटनी अन्तर्गत ग्राम छपरा जलाशय के कैचमेंट एरिया मे मार्बल माइन्स द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में जल संसाधन विभाग, खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छपरा जलाशय के जल आवक क्षेत्र के खसरा नंबर 354/1, 354/2 रकवा 2.00 हे0 क्षेत्र में पट्टेदार मेसर्स कटनी मार्बल ग्राम छपरा खसरा नंबर 322, 329, 330/2, 332/2 रकवा 6.46 हे0 अवधि 26/07/2002 से 25/07/2012 मार्बल उत्खनी पट्टा को 25/07/2012 तक के लिये सबसीडरी पर्पज ओवर बर्डन (डम्प) रखने हेतु स्वीकृत था। इनके द्वारा मार्बल डम्प किया गया है।

मौके पर उपस्थित ग्राम छपरा के कोटवार द्वारा बताया कि भूमि खसरा नंबर 358 रकवा 3.22 हे0 शासकीय मद चरनोई मे मेसर्स शिवशक्ति मार्बल ग्राम छपरा खसरा नंबर 328/1, 328/2 रकवा 2.58 हे0 अवधि 21/11/2002 से 20/11/2012 एवं पट्टेदार मेसर्स शिवशक्ति मार्बल ग्राम छपरा खसरा नंबर 323/1, 323/2, 324 रकवा 3.42 हे0 अवधि 02/09/2011 से 01/09/2021 तक के लिये स्वीकृत है। उक्त क्षेत्र पर दोनो मार्बल उत्खनी पट्टे द्वारा ओवर वर्डन डम्प किया जाना पाया गया है। उक्त दोनो डम्प जलाशय मे जाने आने वाले नाले को प्रभावित करते है। जिसके कारण जलाशय में पानी की आवक अवरूद्ध होती है। शिवशक्ति को स्वीकृत मार्बल उत्खनि पट्टा जिसकी अवधि 2021 तक है, निरीक्षण के समय खदान का संचालय कार्य बंद पाया गया। एवं उनके कोई भी व्यक्ति मौके पर नही मिलने के कारण उक्त मार्बल डम्प के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नही हो सकी। कार्यालयीन नस्ती मे मेसर्स शिवशक्ति मार्बम द्वारा उक्त भूमि पर सबसिडी परपज (मार्बल ओव्हर वर्डन डम्प) हेतु स्वीकृति प्राप्त की गई है या नही के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। पट्टेदार से ओवर बर्डन (डम्प) से संबंध में जानकारी प्राप्त किया जाना उचित होगा।

अतः ग्राम छपरा मे स्थित जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र/नाले का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

सलंग्नः— मौका पंचनामा।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

23/07/2019
खनि निरीक्षक
तहसील बहोरीबंद
जिला कटनी

स्थल पंचनामा

आज दिनांक 19/07/19 को ग्राम- दुपटा प०ह०नं० - 52 रा०नि०मं० सलीमनाबाद तह० बहोरीबंद जिला कटनी अन्तर्गत ग्राम- दुपटा जलाशय के कैचमेंट एरिया में संबंधित व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, कटनी के पत्र क्र. 1835/कार्या./2019/20 दिनांक 15/07/19 के परिपालन में जल संसाधन विभाग, खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुपटा जलाशय के जल भराव क्षेत्र के खसरा नंबर 354, 354/2 रकबा 2.00 हे. क्षेत्र में कटनी मार्बल को 25/07/2012 तक के लिये एक्सप्लोरेटरी पत्थर डोलोमाइट (उत्खनन) करने हेतु स्वीकृत था इनके द्वारा मार्बल उत्खनन किया गया है मौके पर उपस्थित ग्राम-कोटवार ने बताया कि खसरा नंबर 358 रकबा 3.22 हे. शासकीय मद चरनोई में शिवनारायणी मार्बल द्वारा डोलोमाइट उत्खनन किया जाना बतलाया गया उक्त दोनों उत्खनन जलाशय में आने वाले नाले को प्रभावित करते हैं जिसके कारण जलाशय में पानी की आवक अवरुद्ध होती है।

उक्त पंचनामा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष लिखा गया।

19/7/19
M.P. Kolhi

19/7/19
SDO WRD
Bahoriband.

19/07/19
Sub-Engineer
Bahoriband

Rev. I. Kepler
Bahoriband

अनुविभागीय अधिकारी
बहोरीबंद
जिला कटनी